<u>न्यायालय सिविल जज (जू.डि.)/न्यायिक मजिस्ट्रेट,ठाकुरद्वारा</u>

राज्य बनाम वाहिद उर्फ विचले आदि।
वाद सं0–243/2007
मु0अ0सं0–05/2006
धारा–147,323,324,504,506भा.दं.सं.
थाना–डिलारी।

<u>09.01.2020</u>

अभियुक्तगण वाहिद उर्फ विचले, वावू, शाहिद, यासीन, नसीम व युनुस की ओर से द्वितीय जमानत प्रार्थनापत्र वाद सं0–243/2007 मु0अ0सं0–05/2006 धारा–147,323,324,504,506 भा.दं.सं. थाना–डिलारी जिला मुरादाबाद में प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि वाद उपरोक्त में पूर्व से जमानत पर था अभियुक्तगण नियत तिथियों पर न्यायालय में उपस्थित नहीं आ सका तथा न्यायालय द्वारा वारंट जारी कर दिये गये। अतः उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए।

प्रार्थनापत्र पर सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

अभियुक्तगण पूर्व में जमानत पर था तथा नियत तिथि पर न्यायालय उपस्थित न आने के कारण न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध वारंट जारी कर दिये गये थे। अभियुक्तगण के न्यायालय द्वारा वारण्ट निरस्त कर सांय 05.00 बजे तक न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया। अभियुक्तगण भविष्य में नियत तिथियों पर हाजिर होंगे एवं कोई हाजरी माफी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं करेंगे। अभियुक्तगण की जमानत इस न्यायालय द्वारा दिनांक 13.07.2006 को स्वीकृत हो चुकी हैं। उपरोक्त तथ्यों व परिस्थतियों में जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकृत किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्तगण वाहिद उर्फ विचले, वावू, शाहिद, यासीन, नसीम व युनुस द्वारा तीस–तीस हजार रू0 के दो प्रतिभू एवं समान धनराशि का व्यक्तिगत बंधपत्र प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए।

सिविल जज (जू.डि.)/न्यायिक मजिस्ट्रेट
ठाकुरद्वारा।